प्रारूप – II

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

का0आ0 सं0–प्र03/स्था0 1–02/2015 पटना, दिनांक 8/6/18

कार्यालय आदेश – 122

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 188 दिनांक 28.01.2009 के द्वारा संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर नियोजन हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं0 49 सहपठित ज्ञापांक 380(ई0) दिनांक 17.02.2009 द्वारा एक वर्ष के लिए नियोजित करते हुए श्री बसन्त प्रियराज, कनीय अभियंता (असैनिक) को पथ प्रमंडल, बक्सर में पदस्थापित किया गया। नियोजन अवधि समाप्त होने के उपरांत समय–समय पर पुनर्नियोजन किया गया। इनका अंतिम पुनर्नियोजन विभागीय कार्यालय आदेश सं0 273 सहपठित ज्ञापांक 7383 (ई0) दिनांक 29.11.2013 द्वारा किया गया। श्री प्रियराज दिनांक 25.01.2014 से दिनांक 08.08.2014 तक पीलिया रोग से ग्रसित होने के कारण अनुपस्थित थे का अगला पुनर्नियोजन नहीं हो सका। सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 476/2016 बसन्त प्रियराज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 09.05.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय पत्रांक 10589 (एस) दिनांक 20.11.2017 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3828(ई0) दिनांक 04.06.2018 द्वारा श्री बसन्त प्रियराज, कनीय अभियंता (असैनिक) का पुनर्नियोजन आदेश निर्गत की तिथि से अगले एक वर्ष तक के लिए सरकार द्वारा निरूपित शर्त्त एवं बंधेजों के अंतर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदालोक में श्री बसन्त प्रियराज, कनीय अभियंता (असैनिक) का पुनर्नियोजन आदेश निर्गत की तिथि से अगले एक वर्ष तक के लिए करते हुए पूर्व पदस्थापित स्थान पर कार्यरत रहने का आदेश दिया जाता हैः–

क्रम सं0	नाम	गृह जिला	पदस्थापित स्थान
1.	श्री बसन्त प्रियराज, पिता – श्री धनिक लाल मंडल, ग्राम – सरहिला, पो0 – बोरज, जिला – समस्तीपुर, बिहार।	समस्तीपुर	पथ प्रमंडल, बक्सर।

2. यह नियोजन स्थायी रूप से सृजित पदों के विरूद्ध अधिकतम एक वर्ष के लिए है।
3. यदि संविदा–अवधि समाप्ति के पूर्व इसका विस्तार नही होता है तो संविदा अवधि समाप्ति पर यह नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
4. संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) सरकारी सेवक नही मानें जाएगें और वे सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई दावा नहीं बनेगा।
5. नियोजन संविदा अवधि (कन्ट्रेक्ट प्रीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या एक माह की संविदा राशि का एक मुश्त भुगतान देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
6. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अहर्त्ताओं की जाँच संबंधित संस्थान/सक्षम पदाधिकारी से कराए जाने के बाद यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा तत्क्षण समाप्त कर दी जाएगी एवं उन्हें भुगतान किए गए पारिश्रमिक की वसूली नियमानुसार की जाएगी। साथ ही साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
7. सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।
8. एक सप्ताह के अन्दर पदस्थापन कार्यालय में योगदान नही देने पर नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा।
9. पद ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) का पारिश्रमिक पदस्थापन कार्यालय में कार्य भार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

P.T.O.

11. कनीय अभियंता के मासिक पारिश्रमिक की राशि 27,000.00 (सताईस हजार) रूपये मुख्य शीर्ष उपशीर्ष/लघु शीर्ष के व्यवसायिक एवं विशेष सेवाऐं के लिए अदायगियों इकाई से विकलनीय होगी।

12. योगदान के समय पदस्थापन कार्यालय नियुक्त उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र की जाँच कर उनकी पहचान से संतुष्ट हो लेगा।

13. संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) का पुनर्नियोजन हेतु एकरारनामा का निष्पादन संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/वरीय परियोजना अभियंता, (बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0) करेंगे एवं इसकी सूचना विभाग को देना सुनिश्चित करेगें।

8/6/18

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र03/स्था0 1–02/2015 4009 (E) पटना, दिनांक 8/6/18

प्रतिलिपि–सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/6/18

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र03/स्था0 1–02/2015 4009 (E) पटना, दिनांक 8/6/18

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री (पथ निर्माण विभाग) के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग सहित), पथ निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल सहित), पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल सहित)/संबंधित वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0/उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट प्रशाखा–9, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–03 एवं संबंधित कनीय अभियंता (असैनिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/6/18

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र03/स्था0 1–02/2015 4009 (E) पटना, दिनांक 8/6/18

प्रतिलिपि–अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/6/18

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D:\Section_03-\Narendra Kumar_2014\Girish-10\Office 2014-3\Order_2017\Order_May-2018-01-Basant P.Raj..docx